जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

घरेलू व कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि 30 अप्रेल तक बढाई

जयपुर, 03 अप्रेल। घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 अप्रेल, 2017 तक बढा दिया गया है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी में शत–प्रतिशत छूट देय होगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना की अवधि को एक माह बढाने का निर्णय लिया है ताकि इन दोनो श्रेणियों के अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके और विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति से बच सके।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 539/2017